फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री हिरालाल गमेती वगैरह — **विपक्षी : राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा**

किस्म मुकदमा – 131,133 भू.राजस्व अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 73/25**
जीसीएमएस : 2025/271

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 17.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम विकरणी की वर्तमान जमाबन्दी सवत् 2077–80 के खाता संख्या 261 में खसरा संख्या 1602/1128 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म बजड होकर खातेदार हीरालाल गमेती पुत्र मोतीलाल जाति भील निवासी 212 खेड़ा देवी मन्दिर के पास पुला तहसील बडगांव जिला उदयपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मूल खसरा नम्बर 1128 बिलानाम गैर काबिल काश्त में से 4 बीघा गैर खातेदारी के रूप में धूला पिता उदा गमेती सा. देह के नाम मूल आवंटन कार्यालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर के द्वारा दिनांक 11.10.1977 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत हुआ था। नामान्तरण संख्या 835 प्रकार विरासत द्वारा उदीबाई, भंवरीबाई, मांगीलाल पिता धूला, दाखूबाई पत्नि धूला हिस्सा बराबर जाति भील सा. देह के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई। उक्त भूमि का खातेदारी अधिकार नामान्तरण संख्या 839 दिनांक 30.05.2023 द्वारा दिया गया। नामान्तरण संख्या 904 एवं 946 बेचान द्वारा प्रार्थी खातेदार हीरालाल गमेती पुत्र मोतीलाल जाति भील निवासी 212 खेड़ा देवी मन्दिर के पास पुला तहसील बडगांव जिला उदयपुर के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई। कब्जा सुपुर्दगी सम्बन्धी पत्रावली कार्यालय पटवार हल्का विजनवास में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान नक्शे में पटवारी शीट (लट्ठा शीट) में आराजी नम्बर 1602/1128 की तरमीम नहीं है। वर्तमान फर्म से प्राप्त नक्शा शीट अर्थात् बटर शीट में तरमीम मौजूद है। जिसकी प्रति साथ सलंग्न है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा एवं फर्म से प्राप्त शीट में तरमीम में भिन्नता है। फर्म से प्राप्त शीट की एवं मोके पर कब्जे को अलग–अलग दर्शाते हुए नक्शा सलंग्न है। तहसीलदार घासा द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ पटवारी रिपोर्ट, मौका पर्चा एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किए गए।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 261 पर दर्ज आराजी नम्बर 1602/1128 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि मूल आराजी नम्बर 1128 से 4 बीघा भूमि धूला पिता उदा गमेती सा.देह के नाम आवंटन कर आराजी नम्बर 1128 में कब्जा सिपुर्द किया गया। आवंटन की शर्तो की पालना करने पर उक्त खातेदारी हक से दर्ज की गई। खातेदार द्वारा उक्त भूमि का विक्रय प्रार्थी कर कब्जा सिपुर्द [illegible] गया। परन्तु आवंटन से ही उक्त भूमि की तरमीम [illegible] में [illegible] की गई। परन्तु सेग्रीगेशन अर्थात राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन [illegible] समय [illegible] भूमि की तरमीम कर दी गई। जिसका नक्शा शीट फर्म [illegible] गया। परन्तु उक्त [illegible] किस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:48 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा ट्रेस के आधार पर की गई या किस आदेश के तहत की गई। यह अंकित नही किया गया। इससे जाहीर होता है कि तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा ऑनलाईन नक्शे में तरमीम अपने मनमुताबिक कर दी गई। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त भूमि का आवंटन आराजी नम्बर 1128 से हुआ है। तत्पश्चात आवंटन का नामान्तरकरण पारित किया गया है। आवंटन का नामान्तरकरण पारित करने के पश्चात बटा नम्बर अंकित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई। उसी समय साबिक लट्ठा नक्शा में उक्त भूमि की तरमीम करनी चाहिए थी। जो राजस्व कर्मचारियो द्वारा नही की गई। यदि उक्त तरमीम सेहवन से रह गई थी, तो ऐसे में समक्ष अधिकारी के आदेश से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के आधार पर तरमीम करनी चाहिए थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही कर अपने मनमुताबिक उक्त भूमि की तरमीम कर दी गई। उक्त तरमीम राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपने मनमुताबिक कर देने से प्रार्थी के कब्जे एवं राजस्व नक्शे में मिलान नही हो रहा है। जिसे तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया जाकर कब्जे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भी निवेदन किया गया है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार ही मौके पर आवंटन से काबिज है। इसी अनुसार आवंटन की गई थी। इसी अनुसार तरमीम को शुद्ध किया जावे। न्यायालय का मानना है कि प्रार्थी मूल साबिक आराजी नम्बर 1128 में से हुआ। आवंटन के पश्चात राजस्व कार्मिको द्वारा कब्जा सुपुर्दगी की गई। कब्जा सुपुर्दगी पश्चात काश्तकार को जिस भूमि का कब्जा दिया जाता उसी भूमि पर कृषि कार्य किये जाते है। वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा आवंटन कर्ता द्वारा जहां दिया गया वहीं है। परन्तु राजस्व नक्शे में भिन्नता है। न्यायालय यह भी मानना है कि प्रार्थी उसी मूल नम्बर में काबिज होने से राजहित प्रभावित नही हो रहा है। केवल मात्र राजस्व नक्शा एवं मौके पर भिन्नता होने के कारण पक्षकारो के मध्य विवाद बने रहते है। आवंटन के पश्चात से ही भूमि पर आवंटन कर्ता एवं वर्तमान में क्रेता काबिज है। इसलिए वर्तमान में प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम किये जाने की अनुशंषा तहसीलदार घासा द्वारा की गई है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 261 पर दर्ज आराजी नम्बर 1602/1128 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:48 IST
Reason: SelfAttested